

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 335/2023

Surendra Prasad S/o Late Lallu Prasad

----Appellant

Versus

Rajendra Prasad Jaga S/o Baldev Jaga

----Respondent

Connected With

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 50/2023

The New India Assurance Company Limited

----Appellant

Versus

Surendra Prasad Son Of Late Lallu Prasad

----Respondent

For Appellant(s)	:	Ms. Shreya Khandal, Adv. for Mr. Jai Prakash Gupta, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Sanjay Kumar Singhal, Adv. Mr. Anil K Sharma, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

22/08/2025

दीवानी विविध अपील संख्या 335/2023 में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 155/23 अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम पर सुना गया।

प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील पेश करने में हुए विलम्ब के क्रम में प्रस्तुत किए गये तर्कों को ध्यान में रखते हुए धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील को अन्दर मयाद पेश होना माना जाता है।

In SBCMA No. 50/23

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन व उनकी जोखिम पर प्रत्यर्थी संख्या 5 की तामील से छूट प्रदान की जाती है।

प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री जय प्रकाश गुप्ता ने उपस्थिति देते हुए वकालतनामा प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा। वकालतनामा प्रस्तुत होने पर शामिल पत्रावली किया जावे तथा भविष्य में उनका नाम दैनिक वाद सूची में दर्शित किया जावे।

प्रकरण में तामील पूर्ण मानी जाती है।

In SB Civil Misc. Stay Application No. 29/23

अंतरिम स्थगन पर दोनों पक्षों को सुना गया।

संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए दिनांक 17.01.23 को पारित अंतरिम आदेश अपील के अंतिम निस्तारण तक प्रभावी व पुष्ट करते हुए यह स्थगन प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

दोनों प्रकरण छह सप्ताह बाद पुनः न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किये जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J